

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या-6/वि0पत्रा0-24-43/2023

पटना, दिनांक:-

श्रीमती अराधना रविन्द्र, तत्कालीन राज्य कर सहायक आयुक्त (64वीं बैच) नवादा अंचल, नवादा, सम्प्रति राज्य कर सहायक आयुक्त कदमकुआँ अंचल, कदमकुआँ को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 23.04.2026 से 18.05.2026 तक कुल 26 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती रविन्द्र के अवकाश लेखा में (110-26=84) चौरासी दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-6/वि0पत्रा0-24-43/2023 3459 पटना, दिनांक:- 07/09/26

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना/अंचल प्रभारी, नवादा अंचल, नवादा/अंचल प्रभारी, कदमकुआँ अंचल, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर उक्त अवकाश के पश्चात् शेष आदेयता की अद्यतन प्रविष्टि कर लेंगे/एच0 आर0 एम0 एस0 (एडमीन), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/ श्रीमती अराधना रविन्द्र, राज्य कर सहायक आयुक्त (64वीं बैच), कदमकुआँ अंचल, कदमकुआँ को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।